



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 199]
No. 199]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 3, 2008/अग्रहायण 12, 1930
NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 3, 2008/AGRAHAYANA 12, 1930

भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 दिसम्बर, 2008

सं. 1-सीए (7)/123/2008.— चार्टर्ड एकाउंटेंट्स विनियम, 1988 का और संशोधन करने के लिए कतिपय विनियमों का निम्नलिखित प्रारूप भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा चार्टर्ड एकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 (1949 का 38) की धारा 30 की उपधारा (3) यथा अपेक्षित रूप में, के अधीन, भारत के राजपत्र, भाग 3, खंड 4, तारीख 1 सितम्बर, 2008 में, भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान की अधिसूचना सं.1-सीए(7)/123/2008, तारीख 1 सितम्बर, 2008 के पृष्ठ 1 से 18 में प्रकाशित किया गया था ;

और उस तारीख से, जिसको उक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं, पैंतालीस दिन की अवधि की समाप्ति से पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे ;

और उक्त राजपत्र की प्रतियां 3 सितम्बर, 2008 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं ;

और उक्त प्रारूप अधिसूचना के संबंध में किसी व्यक्ति से कोई आक्षेप या सुझाव या टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई थी और इस विषय पर भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान की परिषद् द्वारा विचार किया गया था ;

अतः, अब उक्त अधिनियम की धारा 30 की उपधारा (3) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद्, केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से एतद्द्वारा चार्टर्ड एकाउंटेंट्स विनियम, 1988 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

1. (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम चार्टर्ड एकाउंटेंट्स (दूसरा संशोधन) विनियम, 2008 है ।
- (2) ये राजपत्र में इनके अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।
2. चार्टर्ड एकाउंटेंट्स विनियम, 1988 में, —

(i) विनियम 28ग के पश्चात् निम्नलिखित विनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“28घ. एकीकृत वृत्तिक सक्षमता पाठ्यक्रम के लिए पंजीयन और फीस, - (1) चार्टर्ड एकाउंटेंसी अभ्यर्थियों के लिए अध्ययन पाठ्यक्रम को एकीकृत वृत्तिक सक्षमता पाठ्यक्रम के रूप में नामित किया जाएगा, जिसमें तीन स्तर सम्मिलित होंगे, अर्थात् समूह I, एकाउंटिंग टेक्नीशियन (वैकल्पिक) और समूह II । कोई अभ्यर्थी समूह I या समूह I और एकाउंटिंग टेक्नीशियन या एकाउंटिंग टेक्नीशियन और/या समूह II या समूह I और समूह II या इस विनियम में ऊपर निर्दिष्ट सभी स्तरों में पंजीयन का विकल्प ले सकेगा ।

- (2) कोई भी अभ्यर्थी तब तक एकीकृत वृत्तिक सक्षमता पाठ्यक्रम के किसी स्तर (स्तरों) के लिए पंजीयन हेतु पात्र नहीं होगा जब तक कि उसने इन विनियमों के अधीन आयोजित सामान्य प्रवीणता परीक्षा और भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी परीक्षक निकाय द्वारा आयोजित उच्चतर माध्यमिक परीक्षा (10 + 2 परीक्षा) या केन्द्रीय सरकार द्वारा उसके समतुल्य के रूप में मान्यताप्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण न कर ली हो :

परंतु यह कि ऐसा कोई अभ्यर्थी, जिसने इन विनियमों के अधीन प्रवेश परीक्षा या फाउंडेशन परीक्षा या वृत्तिक शिक्षा (परीक्षा-I) उत्तीर्ण कर ली है, परिषद् द्वारा विनिर्दिष्ट की जाने वाली शर्तों के अधीन रहते हुए एकीकृत वृत्तिक सक्षमता पाठ्यक्रम के लिए पंजीयन हेतु पात्र होगा :

परंतु यह और कि ऐसा कोई अभ्यर्थी, जो पहले ही अनुसूची ख के पैरा 2 या 2क के अधीन पाठ्यविवरण के अनुसार तत्कालीन मध्यवर्ती परीक्षा या परिषद् द्वारा विनियम 28क के उपविनियम (1) के अधीन यथा विनिर्दिष्ट पाठ्यविवरण के अधीन वृत्तिक शिक्षा (पाठ्यक्रम-II) या इन विनियमों के विनियम 28ग के अधीन वृत्तिक सक्षमता परीक्षा के लिए रजिस्ट्रीकृत है, परिषद् द्वारा विनिर्दिष्ट की जाने वाली शर्तों के अधीन रहते हुए एकीकृत वृत्तिक सक्षमता पाठ्यक्रम के लिए पंजीयन/संपरिवर्तन हेतु पात्र होगा ।

- (3) कोई अभ्यर्थी एकीकृत वृत्तिक सक्षमता पाठ्यक्रम हेतु पंजीयन के लिए परिषद् द्वारा अनुमोदित किए जाने वाले प्ररूप में अपने आवेदन के साथ ऐसी फीस का संदाय करेगा, जो परिषद् द्वारा नियत की जाए और जो बारह हजार रुपए से अधिक नहीं होगी ।

28ड. एकीकृत वृत्तिक सक्षमता परीक्षा के लिए प्रवेश, फीस और पाठ्यविवरण

[परिषद् द्वारा इस विनियम के उपविनियम (3) द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाने वाले पाठ्यविवरण के अधीन एकीकृत वृत्तिक सक्षमता परीक्षा में बैठने वाले अभ्यर्थियों को लागू]

- (1) किसी भी अभ्यर्थी को तब तक एकीकृत वृत्तिक सक्षमता परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा, जब तक कि वह --
 - (क) एकीकृत वृत्तिक सक्षमता पाठ्यक्रम के सुसंगत स्तर (स्तरों) के लिए पंजीकृत न हो ; और
 - (ख) इस प्रभाव का प्रमाणपत्र प्रस्तुत न करे कि उसने उस मास के, जिसमें परीक्षा आयोजित की जाती है, प्रथम दिवस को सुसंगत स्तर (स्तरों) के लिए परिषद् द्वारा यथाविनिर्दिष्ट कम से कम नौ मास की अवधि का एक अध्ययन पाठ्यक्रम, ऐसी रीति में, जो समय-समय पर परिषद् द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, पूरा कर लिया है ; और
 - (ग) उसने ऐसी अवधि का और ऐसी रीति में तथा ऐसे समय के भीतर, जो परिषद् द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किया जाए, सूचना प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण या कंप्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रम संबंधी पाठ्यक्रम पूरा न कर लिया हो ।
- (2) एकीकृत वृत्तिक सक्षमता परीक्षा के लिए कोई अभ्यर्थी ऐसी फीस का संदाय करेगा, जो परिषद् द्वारा नियत की जाए और जो दस हजार रुपए से अधिक नहीं होगी ।
- (3) एकीकृत वृत्तिक सक्षमता परीक्षा के लिए किसी अभ्यर्थी की ऐसे पाठ्यविवरण के अनुसार परीक्षा ली जाएगी, जो परिषद् द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किया जाए ।
- (4) इन विनियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, परिषद् एकीकृत वृत्तिक सक्षमता पाठ्यक्रम का पंजीयन प्रारंभ होने के पश्चात् किसी भी समय, परिषद् द्वारा विनियम 28ग के उपविनियम (3) के अधीन यथाविनिर्दिष्ट पाठ्यविवरण के अधीन एकीकृत वृत्तिक सक्षमता परीक्षा का आयोजन रद्द कर सकेगी और अभ्यर्थियों से यह अपेक्षा कर सकेगी कि वे परिषद् द्वारा ऊपर उपविनियम (3) के अधीन परिषद् द्वारा विनिर्दिष्ट पाठ्यविवरण के अनुसार समय-समय पर परिषद् द्वारा विनिर्दिष्ट की जाने वाली रीति में एकीकृत वृत्तिक सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करें ।

(ii) विनियम 29ख के पश्चात् निम्नलिखित विनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“ 29ग. अंतिम परीक्षा में बैठना

[ऐसे अभ्यर्थियों को लागू जो परिषद् द्वारा विनियम 31 (i), (ii) और (iii) में विनिर्दिष्ट किए जाने वाले पाठ्यविवरण के अधीन अंतिम परीक्षा में बैठ रहे हैं]

- (1) किसी भी अभ्यर्थी को अंतिम परीक्षा में तब तक नहीं बैठने दिया जाएगा, जब तक कि उसने,—
 - (i) इन विनियमों के अधीन आयोजित की जाने वाली वृत्तिक सक्षमता परीक्षा पूर्ण रूप से उत्तीर्ण न कर ली हो ; और
 - (ii) उस मास के, जिसमें परीक्षा आयोजित की जाती है, पूर्ववर्ती मास के अंतिम दिवस को या उससे पूर्व सदस्य के रूप में प्रवेश के लिए यथाअपेक्षित व्यवहारिक प्रशिक्षण को पूरा न कर लिया है :

परंतु यह कि ऐसे किसी अभ्यर्थी को, जिसने परिषद् द्वारा विनियम 28ख के उपविनियम (5) के अधीन यथाविनिर्दिष्ट पाठ्यविवरण के अधीन वृत्तिक शिक्षा (परीक्षा-II) उत्तीर्ण कर ली है और उस मास के, जिसमें परीक्षा आयोजित की जाती है, अंतिम दिवस को या उससे पूर्व सदस्य के रूप में प्रवेश के लिए यथाअपेक्षित व्यवहारिक प्रशिक्षण को पूरा कर लिया है या जो उस मास के, जिसमें परीक्षा आयोजित की जाती है, प्रथम दिवस को अधिक छुट्टी, यदि कोई हो, सहित व्यवहारिक प्रशिक्षण के अंतिम बारह मास पूरे कर रहा है, अंतिम परीक्षा में बैठने दिया जाएगा।

- (2) ऊपर उपविनियम (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, ऐसे किसी अभ्यर्थी को, जिसने विनियम 28ग के उपविनियम (1) के दूसरे परंतुक के अंतर्गत आने वाले अभ्यर्थियों के प्रवर्ग में से वृत्तिक सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है या परिषद् द्वारा विनियम 28ड के उपविनियम (3) के अधीन यथाविनिर्दिष्ट पाठ्यविवरण के अधीन एकीकृत वृत्तिक सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है या उन विनियमों के अधीन मध्यवर्ती परीक्षा या चार्टर्ड एकाउंटेंट्स विनियम, 1964 के अधीन मध्यवर्ती परीक्षा या चार्टर्ड एकाउंटेंट्स विनियम, 1949 के अधीन मध्यवर्ती या प्रथम परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है या उसे उन विनियमों के अधीन प्रथम परीक्षा उत्तीर्ण करने से छूट प्राप्त थी, अंतिम परीक्षा में बैठने दिया जाएगा, परंतु यह कि उसने उस मास के, जिसमें परीक्षा आयोजित की जाती है, अंतिम दिवस को या उससे पूर्व सदस्य के रूप में प्रवेश के लिए यथाअपेक्षित व्यवहारिक प्रशिक्षण को पूरा कर लिया है या वह उस मास के, जिसमें परीक्षा आयोजित की जाती है, प्रथम दिवस को अधिक छुट्टी सहित व्यवहारिक प्रशिक्षण के अंतिम छह मास पूरे कर रहा है।

स्पष्टीकरण :- छह या बारह मास की पूर्वोक्त अवधि की संगणना करते हुए, परिषद् द्वारा अवधारित अधिकतम दिनों के अधीन रहते हुए वास्तविक सेवारत अवधि के छोटे भाग से अधिक ली गई छुट्टी को ऐसी अवधि के रूप में माना जाएगा जिसके लिए, यथास्थिति, आर्टिकल्ड या लेखा परीक्षा सेवा के अधीन सेवा प्रदान करना अपेक्षित है।”

(iii) विनियम 31 के मद (ii) के पश्चात् निम्नलिखित मद जोड़ी जाएगी, अर्थात् :-

“(iii) एकीकृत वृत्तिक सक्षमता पाठ्यक्रम का पंजीयन आरंभ होने के पश्चात् परिषद् द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट पाठ्यविवरण के अनुसार।”

(iv) विनियम 37ख के पश्चात् निम्नलिखित विनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“37ग. एकीकृत वृत्तिक सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए अपेक्षाएं

[ऐसे अभ्यर्थियों को लागू जो परिषद् द्वारा विनियम 28ड के उपविनियम (3) के अधीन विनिर्दिष्ट किए जाने वाले पाठ्यविवरण के अधीन एकीकृत वृत्तिक सक्षमता परीक्षा में बैठ रहे हैं]

- (1) कोई अभ्यर्थी पृथक रूप से या एक साथ समूह I या समूह II स्तर (स्तरों) या समूह I और/या समूह II के परीक्षा पत्रों के एक सैट को सम्मिलित करने वाले एक यूनिट में बैठ सकेगा।

(2) एकाउंटिंग टेक्नीशियन स्तर का विकल्प लेने वाले अभ्यर्थी से भिन्न किसी अभ्यर्थी को सामान्यतः ऐसे अभ्यर्थी के रूप में घोषित किया जाएगा, जिसने एकीकृत वृत्तिक सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है, यदि वह -

(क) ऐसी अवधि के लिए और ऐसी रीति में तथा ऐसे समय के भीतर, जिसे परिषद् द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किया जाए, अनुकूलन पाठ्यक्रम पूरा कर लेता है ; और

(ख) समूह I और समूह II दोनों स्तरों को उत्तीर्ण कर लेता है ।

(3) एकाउंटिंग टेक्नीशियन स्तर का विकल्प लेने वाले अभ्यर्थी को ऐसे अभ्यर्थी के रूप में घोषित किया जाएगा, जिसने उस स्तर की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है, यदि वह -

(क) समूह I स्तर को उत्तीर्ण कर लेता है ;

(ख) ऐसी अवधि के लिए और ऐसी रीति में तथा ऐसे समय के भीतर, जिसे परिषद् द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किया जाए, अनुकूलन पाठ्यक्रम पूरा कर लेता है ; और

(ग) एकाउंटिंग और संबंधित क्षेत्रों में बारह मास से अन्यून अवधि का व्यवहारिक संकर्म अनुभव ऐसी रीति में, जिसे परिषद् द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किया जाए, पूरा कर लेता है :

परंतु यह कि ऐसा कोई अभ्यर्थी, जिसने इन विनियमों के विनियम 28ग के उपविनियम (3) के अनुसार पाठ्यचर्या के अधीन या तो वृत्तिक सक्षमता परीक्षा या विनियम 28ख के उपविनियम (5) के अनुसार पाठ्यचर्या के अधीन वृत्तिक शिक्षा (परीक्षा II) या इन विनियमों अथवा चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स विनियम, 1964 के अधीन मध्यवर्ती परीक्षा या चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स विनियम, 1949 के अधीन मध्यवर्ती या प्रथम परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है या जिसको उस विनियम के अधीन प्रथम परीक्षा उत्तीर्ण करने से छूट प्राप्त है और जिसने सदस्य के रूप में प्रवेश के लिए यथा अपेक्षित व्यवहारिक प्रशिक्षण की विहित अवधि को पूरा कर लिया है, इस प्रभाव का आवेदन प्रस्तुत किए जाने तक तथा परिषद् द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट की जाने वाली अन्य शर्तों का अनुपालन किए जाने पर लेखांकन तकनीशियन प्रमाणपत्र प्रदान किए जाने के लिए पात्र होगा ।

(4) किसी अभ्यर्थी को सामान्यतः एक साथ दोनों समूहों में उत्तीर्ण घोषित किया जाएगा, यदि वह -

(क) एक ही प्रयास में समूहों अर्थात् समूह I और समूह II स्तर के प्रत्येक प्रश्न पत्र में न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करता है और प्रत्येक समूह के सभी प्रश्न पत्रों में कुल न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करता है ; या

(ख) एक ही प्रयास में समूहों अर्थात् समूह I और समूह II स्तर के प्रत्येक प्रश्न पत्र में न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करता है और दोनों समूहों के सभी प्रश्न पत्रों में एक साथ कुल न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करता है ।

(5) किसी अभ्यर्थी को, यथास्थिति, समूह I स्तर या समूह II स्तर या यूनिट में उत्तीर्ण घोषित किया जाएगा, यदि वह एक ही प्रयास में समूह/यूनिट के प्रत्येक प्रश्न पत्र में न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करता है और उस समूह/यूनिट के सभी प्रश्न पत्रों में कुल न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करता है ।

471561/08-2

- (6) ऐसा कोई अभ्यर्थी, जिसने परिषद् द्वारा विनियम 28ग के उपविनियम (3) के अधीन यथाविनिर्दिष्ट पाठ्यविवरण के अधीन वृत्तिक सक्षमता परीक्षा के या परिषद् द्वारा अक्टूबर, 2001 से प्रभावी विनियम 28ख के उपविनियम (5) के अधीन यथाविनिर्दिष्ट पाठ्यविवरण के अधीन वृत्तिक शिक्षा (परीक्षा-II) के, जिसके लिए परीक्षा नवम्बर, 2002 से आरंभ हुई थी या चार्टर्ड एकाउंटेंट्स विनियम, 1988 की अनुसूची 'ख' के पैरा 2 के अधीन पाठ्यविवरण के अनुसार मध्यवर्ती परीक्षा के किसी एक समूह को उत्तीर्ण कर लिया है किन्तु दोनों समूहों को उत्तीर्ण नहीं किया है, तत्समान प्रश्न पत्र या प्रश्न पत्रों में छूट के लिए पात्र होगा, यदि तत्समान प्रश्न पत्र परिषद् द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाने वाले नए पाठ्यविवरण में विद्यमान है(हैं) ।
- (7) परिषद्, किसी अभ्यर्थी को परिषद् द्वारा विनियम 28ख के उपविनियम (5) के अधीन यथाविनिर्दिष्ट पाठ्यविवरण के अधीन वृत्तिक शिक्षा (परीक्षा-II) या परिषद् द्वारा विनियम 28ग के उपविनियम (3) के अधीन यथाविनिर्दिष्ट पाठ्यविवरण के अधीन वृत्तिक सक्षमता परीक्षा में परिषद् द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाने वाले तत्समान प्रश्न पत्र या प्रश्न पत्रों में छूट के ऐसे प्रयास या प्रयासों के लिए, जिनका अवसान नहीं हुआ है, जिनमें उसने छूट प्राप्त की है, यदि तत्समान प्रश्न पत्र परिषद् द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाने वाले नए पाठ्यविवरण में विद्यमान है(हैं), पूर्व में प्रदान की गई छूट को जारी रखने के लिए दिशानिर्देश विरचित कर सकेगी । ऐसे तत्समान प्रश्न पत्र या प्रश्न पत्रों की, जिसमें वह असफल हुआ था, परीक्षा में बैठने पर उसे परीक्षा में उत्तीर्ण घोषित किया जाएगा यदि वह ऐसे तत्समान प्रश्न पत्र या प्रश्न पत्रों की, जिसमें वह पूर्व में असफल हुआ था, परीक्षा में एक ही प्रयास में न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करता है और ऐसे प्रश्न पत्र या प्रश्न पत्रों के, जिनमें उसे पूर्व में परिषद् द्वारा छूट प्रदान की गई, अंकों को सम्मिलित करते हुए समूह के सभी प्रश्न पत्रों में कुल न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करता है ।
- (8) ऊपर उपविनियम (1) से (7) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, ऐसा कोई अभ्यर्थी, जो किसी समूह/यूनिट में सम्मिलित सभी प्रश्न पत्रों में बैठा है और जो किसी समूह/यूनिट में सम्मिलित एक या अधिक प्रश्न पत्रों में असफल रहता है किन्तु उस समूह के किसी प्रश्न पत्र या प्रश्न पत्रों में न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक प्राप्त करता है, उसके तुरंत पश्चात् होने वाली तीन आगामी परीक्षाओं में से किसी एक या अधिक में ऐसे प्रश्न पत्र या प्रश्न पत्रों में, जिसमें उसने 60 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त किए हैं, बैठने के लिए पात्र होगा । उसे उस समूह/यूनिट में उत्तीर्ण घोषित किया जाएगा यदि वह ऐसे प्रत्येक प्रश्न पत्र में एक ही प्रयास में न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करता है और ऐसे प्रश्न पत्र या प्रश्न पत्रों सहित, जिसमें उसने ऊपर निर्दिष्ट किसी पूर्व परीक्षा में न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक प्राप्त किए थे, उस समूह/यूनिट के सभी प्रश्न पत्रों में न्यूनतम 50 प्रतिशत कुल अंक प्राप्त करता है । वह तब तक उस समूह/यूनिट के शेष बचे प्रश्न पत्र (पत्रों) में किसी और छूट के लिए पात्र नहीं होगा जब तक कि वह उस समूह/यूनिट में उसे पहले से प्रदान की गई छूट को समाप्त नहीं कर लेता है ।”;

(v) विनियम 38ख के पश्चात् निम्नलिखित विनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“38ग. अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए अपेक्षाएं

[एसे अभ्यर्थियों को लागू जो परिषद् द्वारा विनियम 31(ii) और (iii) के अधीन विनिर्दिष्ट किए जाने वाले पाठ्यविवरण के अधीन अंतिम परीक्षा में बैठ रहे हैं]

- (1) कोई अभ्यर्थी किसी परीक्षा में दोनों समूहों में एक साथ या किसी एक समूह में बैठ सकेगा और शेष समूह के लिए किसी पश्चातवर्ती परीक्षा में बैठ सकेगा तथा उसे सामान्यतः अंतिम परीक्षा में उत्तीर्ण घोषित किया जाएगा यदि वह दोनों समूहों में उत्तीर्ण हो जाता है।
- (2) किसी अभ्यर्थी को सामान्यतः दोनों समूहों में एक साथ उत्तीर्ण घोषित किया जाएगा, यदि वह -
 - (क) एक ही प्रयास में प्रत्येक समूह के प्रत्येक प्रश्न पत्र में न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करता है और प्रत्येक समूह के सभी प्रश्न पत्रों में कुल न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करता है ; या
 - (ख) एक ही प्रयास में दोनों समूहों के प्रत्येक प्रश्न पत्र में न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करता है और दोनों समूहों के सभी प्रश्न पत्रों में एक साथ कुल न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करता है।
- (3) किसी अभ्यर्थी को किसी समूह में उत्तीर्ण घोषित किया जाएगा, यदि वह एक ही प्रयास में उस समूह के प्रत्येक प्रश्न पत्र में न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करता है और उस समूह के सभी प्रश्न पत्रों में कुल न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करता है।
- (4) ऐसा कोई अभ्यर्थी, जिसने परिषद् द्वारा विनियम 31 के मद (i) और (ii) में यथाविनिर्दिष्ट पाठ्यविवरण के अधीन अंतिम परीक्षा या चार्टर्ड एकाउंटेंट्स विनियम, 1988 की अनुसूची 'ख' के पैरा 3 या 3क के अधीन पाठ्यविवरण के अनुसार अंतिम परीक्षा या सुसंगत समय पर प्रवृत्त चार्टर्ड एकाउंटेंट्स विनियम, 1964 (1 जनवरी 1985 के पश्चात् दो समूह स्कीम) की अनुसूची 'खख' के पैरा 3 के अधीन अंतिम परीक्षा के किसी एक समूह को उत्तीर्ण किया है, उस विशिष्ट समूह में छूट के लिए पात्र होगा और अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए उससे शेष बचे समूह की परीक्षा में बैठने और उसे उत्तीर्ण करने की अपेक्षा की जाएगी।
- (5) परिषद्, किसी अभ्यर्थी को परिषद् द्वारा विनियम 31 के मद (i) और (ii) के अधीन यथाविनिर्दिष्ट पाठ्यविवरण के अधीन किसी प्रश्न पत्र या प्रश्न पत्रों में, परिषद् द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाने वाले तत्समान प्रश्न पत्र या प्रश्न पत्रों में छूट के ऐसे प्रयास या प्रयासों के लिए, जिनका अवसान नहीं हुआ है, जिनमें उसने छूट प्राप्त की है, यदि तत्समान प्रश्न पत्र परिषद् द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाने वाले अंतिम परीक्षा के नए पाठ्यविवरण में विद्यमान है(हैं), पूर्व में प्रदान की गई छूट को जारी रखने के लिए दिशानिर्देश विरचित कर सकेगी। ऐसे तत्समान प्रश्न पत्र या प्रश्न पत्रों की, जिसमें वह असफल हुआ था, परीक्षा में बैठने पर उसे परीक्षा में उत्तीर्ण घोषित किया जाएगा यदि वह ऐसे तत्समान प्रश्न पत्र या प्रश्न पत्रों की, जिसमें वह पूर्व में असफल हुआ था, परीक्षा में एक ही प्रयास में न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करता है और ऐसे प्रश्न पत्र या प्रश्न पत्रों के, जिनमें उसे पूर्व में परिषद् द्वारा छूट प्रदान की गई, अंकों को सम्मिलित करते हुए समूह के सभी प्रश्न पत्रों में कुल न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करता है।
- (6) ऊपर उपविनियम (1) से (5) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, ऐसा कोई अभ्यर्थी, जो किसी समूह में सम्मिलित सभी प्रश्न पत्रों में बैठा है और किसी समूह में सम्मिलित एक या अधिक प्रश्न पत्रों में असफल रहता है किन्तु उस समूह के किसी प्रश्न पत्र या प्रश्न पत्रों में न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक प्राप्त करता है, उसके तुरंत पश्चात् होने वाली तीन आगामी परीक्षाओं में से किसी एक या अधिक में ऐसे प्रश्न पत्र या प्रश्न पत्रों में, जिसमें उसने 60 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त किए हैं, बैठने के लिए पात्र होगा। उसे उस समूह में उत्तीर्ण घोषित किया जाएगा यदि वह ऐसे प्रत्येक प्रश्न पत्र में एक ही प्रयास में न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करता है और ऐसे प्रश्न पत्र

या प्रश्न पत्रों सहित, जिसमें उसने ऊपर निर्दिष्ट किसी पूर्व परीक्षा में न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक प्राप्त किए थे, उस समूह के सभी प्रश्न पत्रों में न्यूनतम 50 प्रतिशत कुल अंक प्राप्त करता है। वह तब तक उस समूह के शेष बचे प्रश्न पत्र (पत्रों) में किसी और छूट के लिए पात्र नहीं होगा जब तक कि वह उस समूह में उसे पहले से प्रदान की गई छूट को समाप्त नहीं कर लेता है।

(vi) विनियम 40 के स्थान पर निम्नलिखित विनियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

“40. परीक्षा प्रमाणपत्र, - वृत्तिक शिक्षा (परीक्षा-II), वृत्तिक सक्षमता परीक्षा, एकीकृत वृत्तिक सक्षमता परीक्षा, एकाउंटिंग टेक्नीशियन स्तर या अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् किसी अभ्यर्थी को परिषद् द्वारा अनुमोदित प्ररूप में इस प्रभाव का एक प्रमाणपत्र प्रदान किया जाएगा।”

(vii) विनियम 45 के स्थान पर निम्नलिखित विनियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

“45. आर्टिकलशिप के लिए प्रवेश

(1) आर्टिकलड सहायकों को नियोजित करने वाला कोई सदस्य, किसी व्यक्ति को आर्टिकलड सहायक के रूप में स्वीकार करने से पूर्व स्वयं का यह समाधान करेगा कि -

(क) वह विनियम 43 के अधीन आर्टिकलड सहायकों को प्रशिक्षित करने का हकदार है और उसका वृत्तिक व्यवसाय या यदि वह किसी वृत्ति कर रहे चार्टर्ड एकाउंटेंट का या ऐसे चार्टर्ड एकाउंटेंटों की फर्म का कर्मचारी है तो उसके नियोजक का वृत्तिक व्यवसाय आर्टिकलड सहायकों को प्रशिक्षित करने के प्रयोजन के लिए समुचित है ; और

(ख) ऐसे व्यक्ति ने -

(i) इन विनियमों के अधीन आयोजित वृत्तिक शिक्षा (परीक्षा-II) या समूह-I स्तर या एकीकृत वृत्तिक सक्षमता परीक्षा का एकाउंटिंग टेक्नीशियन स्तर उत्तीर्ण किया है ; और

(ii) परिषद् द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किए जाने वाले कंप्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रम या सूचना प्रौद्योगिक प्रशिक्षण को इस प्रकार विनिर्दिष्ट रीति में सफलतापूर्वक पूरा किया है।

(2) ऊपर उपविनियम (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, ऐसा कोई अभ्यर्थी, जिसने इन विनियमों के अधीन सामान्य प्रवीणता परीक्षा और साथ ही भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी परीक्षक निकाय द्वारा आयोजित 10+2 परीक्षा या केन्द्रीय सरकार द्वारा उसके समतुल्य मान्यताप्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण की है या इन विनियमों के अधीन प्रवेश परीक्षा या फाउंडेशन परीक्षा या वृत्तिक शिक्षा (परीक्षा- I) उत्तीर्ण की है, एकीकृत वृत्तिक सक्षमता पाठ्यक्रम का पंजीयन आरंभ होने तक या ऐसे समय तक जिसे परिषद् अवधारित करे, आर्टिकलशिप में प्रवेश के लिए पात्र होगा :

परंतु यह कि ऐसा कोई अभ्यर्थी, जो एकीकृत वृत्तिक सक्षमता पाठ्यक्रम का पंजीयन आरंभ होने से पूर्व एक आर्टिकलड सहायक के रूप में रजिस्ट्रीकृत था, प्रशिक्षण के जारी रहने में किसी व्यवधान पर ध्यान न देते हुए उसी रूप में बने रहने और इन विनियमों के अधीन पहले से निष्पादित आर्टिकल विलेख के अनुसार व्यवहारिक प्रशिक्षण की शेष अवधि को पूरा करने का पात्र होगा :

परंतु यह और कि ऐसा कोई अभ्यर्थी, जिसने एकीकृत वृत्तिक सक्षमता पाठ्यक्रम का पंजीयन आरंभ होने के समय वृत्तिक शिक्षा (परीक्षा-II) उत्तीर्ण कर ली है, ऐसे समय तक, जो परिषद् द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, तीन वर्ष की आर्टिकलशिप में प्रवेश ले सकेगा।”;

(viii) विनियम 50 के अंत में, निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाएगा, अर्थात् :-

“परंतु यह भी कि एकीकृत वृत्तिक सक्षमता पाठ्यक्रम के लिए पंजीकृत कोई अभ्यर्थी, उसके द्वारा एकीकृत वृत्तिक सक्षमता परीक्षा के समूह I स्तर या एकाउंटिंग टेक्नीशियन स्तर को उत्तीर्ण करने पर तीन वर्ष की आर्टिकलशिप के लिए पात्र होगा।”

टी. कार्थिकेयन, कार्यकारी सचिव
[विज्ञापन III /4/104/2008/असा.]

टिप्पण - मूल विनियमों को भारत के राजपत्र, असाधारण तारीख 1 जून, 1988 में अधिसूचना सं० 1-सीए(7)/134/88 तारीख 1 जून, 1988 द्वारा प्रकाशित किया गया था और तत्पश्चात् इनमें निम्नलिखित संख्याओं द्वारा संशोधन किए गए हैं :-

- (i) भारत के राजपत्र, तारीख 7 अक्टूबर, 1989 में प्रकाशित अधिसूचना सं० 1-सीए(7)/1/89
- (ii) भारत के राजपत्र, तारीख 19 जनवरी, 1991 में प्रकाशित अधिसूचना सं० 1-सीए(7)/10/90
- (iii) भारत के राजपत्र, तारीख 19 जनवरी, 1991 में प्रकाशित अधिसूचना सं० 1-सीए(7)/11/90
- (iv) भारत के राजपत्र, तारीख 23 फरवरी, 1991 में प्रकाशित अधिसूचना सं० 1-सीए(7)/12/91
- (v) भारत के राजपत्र, तारीख 2 फरवरी, 1991 में प्रकाशित अधिसूचना सं० 1-सीए(7)/13/90
- (vi) भारत के राजपत्र, तारीख 7 मार्च, 1992 में प्रकाशित अधिसूचना सं० 1-सीए(7)/19/92
- (vii) भारत के राजपत्र, तारीख 19 अगस्त, 1995 में प्रकाशित अधिसूचना सं० 1-सीए(7)/28/95
- (viii) भारत के राजपत्र, तारीख 13 मार्च, 1996 में प्रकाशित अधिसूचना सं० 1-सीए(7)/30/95
- (ix) भारत के राजपत्र, तारीख 16 अगस्त, 1997 में प्रकाशित अधिसूचना सं० 1-सीए(7)/31/97

4715 GI/08-3

- (x) भारत के राजपत्र, तारीख 26 फरवरी, 2000 में प्रकाशित अधिसूचना सं० 1-सीए(7)/44/99
- (xi) भारत के राजपत्र, तारीख 26 फरवरी, 2000 में प्रकाशित अधिसूचना सं० 1-सीए(7)/45/99
- (xii) भारत के राजपत्र, असाधारण, तारीख 17 अगस्त, 2001 में प्रकाशित अधिसूचना सं० 1-सीए(7)/51/2000
- (xiii) भारत के राजपत्र, असाधारण, तारीख 28 सितम्बर, 2001 में प्रकाशित अधिसूचना सं० 1-सीए(7)/59/2001
- (xiv) भारत के राजपत्र, असाधारण, तारीख 31 मार्च, 2003 में प्रकाशित अधिसूचना सं० 1-सीए(7)/64/2002
- (xv) भारत के राजपत्र, असाधारण, तारीख 4 दिसम्बर, 2003 में प्रकाशित अधिसूचना सं० 1-सीए(7)/64ए/2003
- (xvi) भारत के राजपत्र, असाधारण, तारीख 28 जुलाई, 2005 में प्रकाशित अधिसूचना सं० 1-सीए(7)/83/2005
- (xvii) भारत के राजपत्र, असाधारण, तारीख 17 जून, 2006 में प्रकाशित अधिसूचना सं० 1-सीए(7)/84/2005
- (xviii) भारत के राजपत्र, असाधारण, तारीख 13 सितंबर, 2006 में प्रकाशित अधिसूचना सं० 1-सीए(7)/92/2006
- (xix) भारत के राजपत्र, असाधारण, तारीख 17 अगस्त, 2007 में प्रकाशित अधिसूचना सं० 1-सीए(7)/102/2007(अ)
- (xx) भारत के राजपत्र, असाधारण, तारीख 25 सितम्बर, 2008 में प्रकाशित अधिसूचना सं० 1-सीए(7)/116/2008

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA
NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd December, 2008

No. 1-CA(7)/123/2008.—Whereas the following draft of certain regulations further to amend the Chartered Accountants Regulations, 1988, were published by the Institute of Chartered Accountants of India, as required under sub-section (3) of section 30 of the Chartered Accountants Act, 1949 (38 of 1949) at pages 1 to 18 of the Gazette of India, Part III, section 4, dated the 1st September, 2008 in the notification of the Institute of Chartered Accountants of India No. 1-CA(7)/123/2008 dated 1st September, 2008;

And whereas objections and suggestions were invited before the expiry of a period of forty five days from the date on which the copies of the said Gazette were made available to the public;

And whereas the said Gazette was made available to the public on 3rd September, 2008;

And whereas no objection or suggestion or comment was received from any person with respect to the said draft notification and that the matter has been considered by the Council of the Institute of Chartered Accountants of India;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with sub-section (3) of section 30 of the said Act, the Council, with the approval of the Central Government, hereby makes the following amendments in the Chartered Accountants Regulations, 1988, namely:--

1. (1) These regulations may be called the Chartered Accountants (Second Amendment) Regulations, 2008.

(2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. In the Chartered Accountants Regulations, 1988, —

(i) **after regulation 28C, the following Regulation shall be inserted, namely:—**

"28D. Enrolment for Integrated Professional Competence Course and Fees. — (1)

The study course for the chartered accountancy candidates shall be named as Integrated Professional Competence Course, which shall be composed of three levels viz. Group I, Accounting Technician (optional) and Group II. A candidate may opt for enrolment to Group I or Group I and Accounting Technician or Accounting Technician and/or Group II or Group I and Group II or for all the levels referred to above in this regulation.

(2) No candidate shall be eligible for enrolment to any of the level(s) of the Integrated Professional Competence Course unless he has passed the Common Proficiency Test

held under these regulations and Senior Secondary Examination (10+2 examination) conducted by an examining body constituted by law in India or an examination recognised by the Central Government as equivalent thereto:

Provided that a candidate who has passed Entrance Examination or Foundation Examination or Professional Education (Examination-I) under these regulations shall be eligible for enrolment to Integrated Professional Competence Course subject to such conditions as may be specified by the Council:

Provided further that a candidate who was already registered for erstwhile Intermediate Examination as per syllabus under paragraph 2 or 2A of Schedule B or of Professional Education (Course-II) under sub-regulation (1) of regulation 28A or Professional Competence Examination under regulation 28C of these regulations shall be eligible for enrolment/conversion to Integrated Professional Competence Course subject to such conditions as may be specified by the Council.

- (3) A candidate shall pay such fee for enrolment to Integrated Professional Competence Course as may be fixed by the Council which shall not exceed rupees twelve thousand along with his application in the Form as may be approved by the Council.

28E. Admission to Integrated Professional Competence Examination, fees and syllabus

[Applicable to candidates appearing in Integrated Professional Competence Examination under the syllabus as may be specified by the Council under sub-regulation (3) of this regulation.]

- (1) No candidate shall be admitted to Integrated Professional Competence Examination unless –
- (a) he is enrolled for the relevant level(s) of the Integrated Professional Competence Course; and
 - (b) he produces a certificate to the effect that he has undergone a study course, for a period not less than nine months, as may be specified by the Council for the relevant level(s), as on the first day of the month in which the examination is held, in the manner as may be specified by the Council from time to time; and
 - (c) he has completed a course on Information Technology Training or Computer Training Programme for such period and in such manner and within such time as may be specified by the Council from time to time.
- (2) A candidate for the Integrated Professional Competence Examination shall pay such fee, as may be fixed by the Council, which shall not exceed rupees ten thousand.
- (3) A candidate for the Integrated Professional Competence Examination shall be examined as per the syllabus as may be specified by the Council from time to time.
- (4) Notwithstanding anything contained in these regulations, the Council may at any time after the commencement of enrolment to Integrated Professional Competence Course discontinue holding of Professional Competence Examination under the

syllabus as specified by the Council under sub-regulation (3) of regulation 28C and require the candidates to pass, in such manner as may be specified by the Council from time to time, Integrated Professional Competence Examination as per the syllabus specified by the Council under sub-regulation (3) above.”;

(ii) after regulation 29B, the following regulation shall be inserted, namely:-

“29C. Admission to Final Examination

[Applicable to candidates appearing in Final Examination under the syllabus as may be specified by the Council under regulation 31(i), (ii) and (iii)]

- (1) No candidate shall be admitted to the Final Examination unless he has passed, -
- (i) Professional Competence Examination in its entirety held under these regulations; and
 - (ii) completed the practical training as is required for admission as a member on or before the last day of the month preceding the month in which the examination is held:

Provided that a candidate who has passed Professional Education (Examination-II) under the syllabus as specified by the Council under sub-regulation (5) of regulation 28B and has completed the practical training as is required for admission as a member on or before the last day of the month preceding the month in which the examination is held or has been serving the last twelve months of practical training including excess leave, if any, on the first day of the month in which the examination is held, shall be admitted to the Final examination.

- (2) Notwithstanding anything contained in sub-regulation (1) above, a candidate who has passed the Professional Competence Examination from out of the category of candidates covered under second proviso to sub-regulation (1) of regulation 28C or Integrated Professional Competence Examination under the syllabus as may be specified by the Council under sub-regulation (3) of regulation 28E or the Intermediate Examination under these Regulations or Intermediate Examination under the Chartered Accountants Regulations, 1964 or the Intermediate or the first examination under the Chartered Accountants Regulations, 1949, or was exempted from passing the first examination under those regulations shall be admitted to the Final examination provided he has completed the practical training as is required for admission as a member on or before the last day of the month preceding the month in which the examination is held or has been serving the last six months of practical training including excess leave, if any on the first day of the month in which the examination is held.

Explanation. - In computing the aforesaid period of six or twelve months, leave taken in excess of one-sixth of the actual period served subject to a maximum of days, as may be determined by the Council, shall be regarded as the period required to be served under articled or audit service, as the case may be.”;

4715 GI/08-4

(iii) in regulation 31, after item (ii), the following item shall be added, namely:-

“(iii) as per the syllabus specified by the Council from time to time after commencement of enrolment to Integrated Professional Competence Course.”;

(iv) after regulation 37B, the following regulation shall be inserted, namely:-

“37C. Requirements for passing Integrated Professional Competence Examination

[Applicable to candidates appearing in Integrated Professional Competence Examination under the syllabus as may be specified by the Council under sub-regulation (3) of regulation 28E]

- (1) A candidate may appear in Group I or Group II level(s), separately or simultaneously or in a Unit comprising of a set of papers of Group I and / or Group II.
- (2) A candidate, other than a candidate who has opted for Accounting Technician level, shall ordinarily be declared to have passed the Integrated Professional Competence Examination, if he –
 - (a) completes the Orientation Course for such period and in such manner and within such time as may be specified by the Council from time to time; and
 - (b) passes in both Group I and Group II levels.
- (3) A candidate, who has opted for the Accounting Technician level, shall be declared to have passed in that level, if he –
 - (a) passes in Group I level;
 - (b) completes the Orientation Course for such period and in such manner and within such time as may be specified by the Council from time to time; and
 - (c) completes the practical work experience in accounting and related fields for a period not less than twelve months in such manner as may be specified by the Council from time to time:

Provided that a candidate, who has passed either the Professional Competence Examination under the syllabus as per the sub-regulation (3) of Regulation 28C or Professional Education (Examination-II) under the syllabus as per sub-regulation (5) of Regulation 28B of these regulations or Intermediate Examination under these regulations or the Chartered Accountants Regulations, 1964 or Intermediate or the first examination under the Chartered Accountants Regulations, 1949 or was exempted from passing the first examination under that regulation and has completed the prescribed period of practical training as was required for admission as a member, shall be eligible for grant of Accounting Technician Certificate on making an application to this effect and on compliance with such other conditions as may be specified by the Council from time to time.

- (4) A candidate shall ordinarily be declared to have passed in both the groups simultaneously, if he –

- (a) secures at one sitting a minimum of 40 per cent. marks in each paper of each of the groups, viz., Group I and Group II levels, and minimum of 50 per cent. marks in the aggregate of all the papers of each of the groups; or
- (b) secures at one sitting a minimum of 40 per cent. marks in each paper of both the groups, viz., Group I and Group II levels, and a minimum of 50 per cent. marks in the aggregate of all the papers of both the groups taken together.
- (5) A candidate shall be declared to have passed in Group I level or Group II level or unit, as the case may be, if he secures at one sitting a minimum of 40 per cent. marks in each paper of the group / unit and a minimum of 50 per cent. marks in the aggregate of all the papers of that group / unit.
- (6) A candidate, who has passed in any one but not in both the groups either of the Professional Competence Examination under the syllabus as specified by the Council under sub-regulation (3) of the regulation 28C or Professional Education (Examination-II) under the syllabus as specified by the Council under sub-regulation (5) of regulation 28B effective from October, 2001, the examination for which commenced from November, 2002 or of the Intermediate Examination as per syllabus under paragraph 2A of Schedule 'B' to the Chartered Accountants Regulations, 1988, shall be eligible for exemption in the corresponding paper or papers, if the corresponding paper(s) exists in the new syllabus as may be specified by the Council.
- (7) The Council may frame guidelines to continue to award exemption in a paper or papers to a candidate, granted earlier in the Professional Education (Examination-II) under the syllabus as specified by the Council under the syllabus as specified by sub-regulation (5) of regulation 28B or in the Professional Competence Examination under the syllabus as specified by sub-regulation (3) of regulation 28C for the unexpired chance or chances of the exemption in the corresponding paper or papers, as may be specified by the Council, in which he has secured exemption if the corresponding paper exists or papers exists in the new syllabus as may be specified by the Council. On appearing in the examination of the corresponding paper or papers in which he had failed, he shall be declared to have passed the examination if he secures at one sitting a minimum of 40 per cent. marks in the corresponding paper or papers in which he had failed earlier and a minimum of 50 per cent. marks in the aggregate of all the papers of the group including the marks of the paper or papers in which he had earlier been granted exemption by the Council.
- (8) Notwithstanding anything contained in sub-regulations (1) to (7) above, a candidate who has appeared in all the papers comprised in a group / unit and fails in one or more papers comprised in a group / unit but secures a minimum of 60 per cent of the marks in any paper or papers of that group shall be eligible to appear at any one or more of the immediately next three following examinations in the paper or papers in which he secured less than 60 per cent. marks. He shall be declared to have passed in that group / unit if he secures at one sitting a minimum of 40 per cent. marks in each of such papers and a minimum of 50 per cent. of the total marks of all papers of that group / unit including the paper or papers in which he had secured a minimum of 60 per cent. marks in the earlier examination referred to above. He shall not be eligible for any further exemption in the remaining paper(s) of that group / unit until he has exhausted the exemption already granted to him in that group / unit.”;

(v) after regulation 38B, the following regulation shall be inserted, namely:-

"38C. Requirements for Passing the Final Examination

[Applicable to candidates appearing in Final Examination under the syllabus as may be specified by the Council under regulation 31(ii) and (iii)]

- (1) A candidate may appear in both the groups simultaneously or in one group in one examination and the remaining group at any subsequent examination and shall ordinarily be declared to have passed the Final Examination if he passes in both the groups.
- (2) A candidate shall ordinarily be declared to have passed in both the groups simultaneously, if he –
 - (a) secures at one sitting a minimum of 40 per cent. marks in each paper of each of the groups and minimum of 50 per cent. marks in the aggregate of all the papers of each of the groups; or
 - (b) secures at one sitting a minimum of 40 per cent. marks in each paper of both the groups and a minimum of 50 per cent. marks in the aggregate of all the papers of both the groups taken together.
- (3) A candidate shall be declared to have passed in a group if he secures at one sitting a minimum of 40 per cent. marks in each paper of the group and a minimum of 50 per cent. marks in the aggregate of all the papers of that group.
- (4) A candidate who has passed in any one but not in both the groups of the Final Examination under the syllabus as specified by the Council under items (i) and (ii) of regulation 31 or of the Final Examination as per syllabus under paragraph 3 or 3A of Schedule 'B' to the Chartered Accountants Regulations, 1988 or paragraph 3 of Schedule 'BB' to the Chartered Accountants Regulations, 1964 (two groups scheme after January 1, 1985) enforced at the relevant time shall be eligible for exemption in that particular group and shall be required to appear and pass in the remaining group in order to pass the Final Examination.
- (5) The Council may frame guidelines to continue to award exemption in a paper or papers to a candidate, granted earlier under the syllabus as specified under items (i) and (ii) of regulation 31 for the unexpired chance or chances of the exemption in the corresponding paper or papers for the paper or papers in which he had secured exemption, if the corresponding paper or papers exists in the new syllabus of the Final Examination as may be specified by the Council. On appearing in the examination of the corresponding paper or papers for the paper or papers in which he had failed, he shall be declared to have passed the examination if he secures at one sitting a minimum of 40 per cent. in the corresponding paper or papers for the paper or papers in which he had failed earlier and a minimum of 50 per cent. marks in the aggregate of all the papers of the group including the marks of the paper or papers in which he had earlier been granted exemption by the Council.
- (6) Notwithstanding anything contained in sub-regulations (1) to (5) above, a candidate who has appeared in all the papers comprised in a group and fails in one or more papers comprised in a group but secures a minimum of 60 per cent of the marks in

any paper or papers of that group shall be eligible to appear at any one or more of the immediately next three following examinations in the paper or papers in which he secured less than 60 per cent. marks. He shall be declared to have passed in that group if he secures at one sitting a minimum of 40 per cent. marks in each of such papers and a minimum of 50 per cent. of the total marks of all papers of that group including the paper or papers in which he had secured a minimum of 60 per cent. marks in the earlier examination referred to above. He shall not be eligible for any further exemption in the remaining paper(s) of that group until he has exhausted the exemption already granted to him in that group.”;

(vi) for regulation 40, the following regulation shall be substituted, namely:-

“40. **Examination Certificates.** – A candidate passing the Professional Education (Examination-II), Professional Competence Examination, Integrated Professional Competence Examination, Accounting Technician level, or Final examination shall be granted a certificate to that effect in the Form approved by the Council.”;

(vii) for regulation 45, the following regulation shall be substituted, namely:-

“45. **Admission to Articleship.** – (1) A member engaging articled assistants shall before accepting a person as an articled assistant satisfy himself that –

- (a) he is entitled to train articled assistants under regulation 43, and his professional practice or that of his employer, if he is an employee of chartered accountant in practice or a firm of such chartered accountants, is suitable for the purpose of training articled assistants; and;
- (b) such a person –
 - (i) has passed Professional Education (Examination-II) or has passed Group I level or Accounting Technician level of Integrated Professional Competence Examination held under these regulations; and
 - (ii) has successfully completed computer training programme or Information Technology Training as may be specified from time to time by the Council and in the manner so specified.

- (2) Notwithstanding anything contained in sub-regulation (1) above, a candidate who has passed Common Proficiency Test held under these regulations and also 10+2 examination conducted by an examining body constituted by a law in India or an examination recognised by the Central Government as equivalent thereto; or has passed the Entrance Examination or Foundation Examination or Professional Education (Examination-I) under these regulations shall be eligible for admission to articleship until the commencement of the enrolment to Integrated Professional Competence Course or till such time as the Council may decide:

Provided that a candidate who was registered as an articled assistant before the commencement of the enrolment to Integrated Professional Competence Course shall be eligible to continue and complete the remaining period of practical training as per the deed

4715 GI/08-5

of articles already executed under these regulations irrespective of any break in the continuity of training:

Provided further that a candidate who has passed Professional Education (Examination-II) at the time of commencement of enrolment to Integrated Professional Competence Course may join three years articleship upto such time as may be specified by the Council.”;

(viii) in regulation 50, the following proviso shall be added at the end, namely:-

“Provided also that a candidate enrolled for the Integrated Professional Competence Course shall be eligible to three years articleship on his passing the Group I level or Accounting Technician level of the Integrated Professional Competence Examination.”

T. KARTHIKEYAN, Acting Secy.

[ADVT. III/4/104/2008/Exty.]

Note: The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary, dated the 1st June, 1988 vide number 1-CA(7)/134/88 dated 1st June, 1988 and subsequently amended by the following numbers:-

- (i) Notification No.1-CA(7)/1/89 published in the Gazette of India dated 7th October, 1989
- (ii) Notification No.1-CA(7)/10/90 published in the Gazette of India dated 19th January, 1991
- (iii) Notification No.1-CA(7)/11/90 published in the Gazette of India dated 19th January, 1991
- (iv) Notification No.1-CA(7)/12/91 published in the Gazette of India dated 23rd February, 1991
- (v) Notification No.1-CA(7)/13/90 published in the Gazette of India dated 2nd February, 1991
- (vi) Notification No.1-CA(7)/19/92 published in the Gazette of India dated 7th March, 1992
- (vii) Notification No.1-CA(7)/28/95 published in the Gazette of India dated 19th August, 1995
- (viii) Notification No.1-CA(7)/30/95 published in the Gazette of India, Extraordinary dated 13th March, 1996
- (ix) Notification No.1-CA(7)/31/97 published in the Gazette of India dated 16th August, 1997

- (x) Notification No.1-CA(7)/44/99 published in the Gazette of India dated 26th February, 2000
- (xi) Notification No.1-CA(7)/45/99 published in the Gazette of India dated 26th February, 2000
- (xii) Notification No.1-CA(7)/51/2000 published in the Gazette of India, Extraordinary dated 17th August, 2001
- (xiii) Notification No.1-CA(7)/59/2001 published in the Gazette of India, Extraordinary dated 28th September, 2001
- (xiv) Notification No.1-CA(7)/64/2002 published in the Gazette of India, Extraordinary dated 31st March, 2003
- (xv) Notification No.1-CA(7)/64A/2003 published in the Gazette of India, Extraordinary dated 4th December, 2003
- (xvi) Notification No.1-CA(7)/83/2005 published in the Gazette of India, Extraordinary dated 28th July, 2005
- (xvii) Notification No.1-CA(7)/84/2005 published in the Gazette of India dated 17th June, 2006
- (xviii) Notification No.1-CA(7)/92/2006 published in the Gazette of India, Extraordinary dated 13th September, 2006
- (xix) Notification No.1-CA(7)/102/2007(E) published in the Gazette of India, Extraordinary dated 17th August, 2007
- (xx) Notification No.1-CA(7)/116/2008 published in the Gazette of India, Extraordinary dated 25th September, 2008

